न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 58/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री एस.एस. राणावत निवासी शास्त्रीनगर भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा

––अपीलार्थी ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 28-09.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 47 एफ 048939 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 5.5.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 21.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/562 दिनांक 22.09.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा ने निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं –

1. अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 5.5.2020 को कार्यालय मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 05 की सूचना इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्रांक/3927 दिनांक 29.05.2020 द्वारा अन्तरित होकर सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा में दिनांक 03.06.2020 को प्राप्त हुआ।
2. अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 05 में इस कार्यालय से चाही गयी सूचना / जवाब सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक/275 दिनांक 12.06.2020 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी गयी।

अपीलार्थी ने अपील के संबंध में अपना परिकथन प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी ने माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर को अपील किया जाना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 28-09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा